Rule 70: 1[****]

Rule 70 omitted by Noti. No. 19/2022–Central Tax, dt. 28-09-2022 w.e.f. 01-10-2022. Earlier to omission it was read as,

"Rule 70: Final acceptance of input tax credit and communication thereof

- (1) The final acceptance of claim of input tax credit in respect of any tax period, specified in sub-section (2) of section 42, shall be made available electronically to the registered person making such claim in **FORM GST MIS-1** through the common portal.
- (2) The claim of input tax credit in respect of any tax period which had been communicated as mismatched but is found to be matched after rectification by the supplier or recipient shall be finally accepted and made available electronically to the person making such claim in FORM GST MIS-1 through the common portal."

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

नियम 70 : ¹[.....]

1 अधिसूचना क्रमांक 19/2022—केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा नियम 70 विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2022)। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार थाः

"नियम 70 : इनपुट कर प्रत्यय की अन्तिम स्वीकृत और उसकी संसूचना

⁽¹⁾ धारा 42 की उप—धारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी कर अवधि की बाबत् इनपुट कर प्रत्यय के दावे की अन्तिम स्वीकृति सामान्य पोर्टल के माध्यम से प्ररूप जीएसटी एमआईएस—1 में दावा करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा।

⁽²⁾ किसी कर अवधि की बाबत इनपुट कर प्रत्यय का दावा, जिसे बेमेल के रूप में संसूचित किया गया है किन्तु प्रदायकर्ता या प्राप्तिकर्ता द्वारा परिशोधन के पश्चात्, सुमेलित पाया गया है, अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाएगा और सामान्य पोर्टल के माध्यम से प्ररूप जीएसटी एमआईएस—1 में ऐसा दावा करने वाले व्यक्ति को इलेक्ट्रानिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।"